झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

आपराधिक पुनरीक्षण सं0–95 वर्ष 2020

नीतीश कुमार झा उर्फ नीतीश झा .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष।

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री अमिताभ के0 गुप्ता

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री विद्या शंकर, अधिवक्ता।

राज्य के लिए:– श्री एस0के0 दुबे, ए0पी0पी0।

07 / दिनांकः 03.09.2020

1. यह पुनरीक्षण दिनांक 13.05.2019 के आदेश के खिलाफ दायर किया गया है, जिसके तहत याचिकाकर्त्ता (विधि के उल्लंघन के लिए अभिकथित या पाये जाने वाला किशोर) की जमानत के लिए प्रार्थना को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, देवघर द्वारा आपराधिक (किशोर जमानत) अपील सं0–10 / 2019 में खारिज कर दिया गया है।

2. याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए0पी0पी0 को सुना। याचिकाकर्त्ता का आपराधिक इतिहास प्रतिवेदन जो देवघर (टाउन) पुलिस स्टेशन के कार्यालय प्रभारी द्वारा प्रस्तुत की गई है, वह अभिलेख में उपस्थित है। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्त्ता कुल सात मामलों में आरोपी हैं।

3. याचिकाकर्त्ता के आपराधिक इतिहास को ध्यान में रखते हुए, इस अवस्था पर जमानत पर उसकी रिहाई के लिए प्रार्थना, एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

(अमिताभ के0 गुप्ता न्याया0)